


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ज्वालियर केम् रीवा म०प्र०



जाला प्रसाद तनय रोहणी प्रसाद दिहित उम्र- 70 साल निवासी ग्राम मौहाना तहसील तथौर जिला रीवा म०प्र० ---- निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- कृष्ण चरण दीहित
- 2- रघुमति चरण दीहित
- 3- हरिचरण दीहित
- 4- साधु चरण दीहित
- 5- सियासरण दीहित

सभी के पिता राजेश्वरी प्रसाद दीहित

नि० ग्राम मौहाना तह-तथौर जिला रीवा

॥ म०प्र०॥

--- गैर निगरानीकर्ता गण

R. 1277-111/13

श्री काके ७५ पेट २३  
०९१२५ नि० २०३३३  
२९१३५५०३५

०९  
२१-३-१३

२१-३-१३

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपरकलेक्टर महोदय  
जिला रीवा के प्र०प्र० २०१३- ७४/ ०९- १० के आदेश  
दिनांक- ११- २- २०१३

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. नू.रा.सं. १९५९

मान्यवर,

आकार निगरानी निम्न है :-

- 1- यहाँक अधीनस्थ न्यायालय जमा देश दिनांक ११- २- १३ विधीय व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।
- 2- यहाँक उक्त प्रकरण का निरोकरण सिविल न्यायालय से किया जा चुका है जिससे व्यवहार ब.दि.प्र.०५६ ए/०५ निर्णय दिनांक १५- १२- ८९ को हो चुका है ।

उक्त आदेश में १/६ का हिस्सा निगरानी कर्ता को प्राप्त हुआ है जिसके आधार

जाता प्रसाद

प्रमथ:२


M

राजरव मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1277-III/13

जिला-रीवा

ज्वाला प्रसाद दिक्षित / कृष्णशरण दिक्षित वगैरः

(1)	(2)	(3)
18.07.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	 सदस्य